







# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-124/2017-18

| आदेश की तिथि | आदेश  | आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ  |
|--------------|---|--|
| 26.12.2017   | <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि <b>02.02.2018</b> को निर्धारित की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख <b>02.02.2018</b> को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>                     भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>                     पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।                 </div>  |  |
| 02.02.2018   | <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 183, दिनांक 30.01.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक <b>सेलाय पुरती</b>, पिता <b>स्व० महेन्द्र पुरती</b>, ग्राम-<b>भालियाकुदर, वार्ड नं०-01 (पुराना)</b>, पोस्ट-<b>चक्रधरपुर</b>, थाना-<b>चक्रधरपुर</b>, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-<b>आसनतलिया</b>, खाता नं०-<b>284</b>, प्लॉट नं०-<b>2100</b>, रकवा <b>0.12 ए०</b>, क्रेता <b>घनश्याम हासदा</b>, पिता-<b>स्व० मंगल सिंह हासदा</b>, ग्राम-<b>केरा खास</b>, पो०-<b>चक्रधरपुर</b>, थाना-<b>चक्रधरपुर</b>, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक <b>सेलाय पुरती</b>, पिता <b>स्व० महेन्द्र पुरती</b> के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना-<b>चक्रधरपुर</b> के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता "हो" दोनो (अ.ज.जा.) समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा-<b>2.50 ए०</b> भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, <b>चक्रधरपुर</b> द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता <b>घनश्याम हासदा</b>, पिता-<b>स्व० मंगल सिंह हासदा</b>, ग्राम-<b>केरा खास</b>, पो०-<b>चक्रधरपुर</b>, थाना-<b>चक्रधरपुर</b>, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <br/>                     भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>                     पोड़ाहाट, चक्रधरपुर                 </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <br/>                     भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>                     पोड़ाहाट, चक्रधरपुर                 </div> </div> | <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>                     Seen<br/> <br/>                     2/2/18                 </div> |
|              | <p>पुनश्चः</p> <p style="font-size: 1.2em;">आदेश की उक्ति पक्षकार को उपलब्ध कराते।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>                     भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br/>                     पोड़ाहाट, चक्रधरपुर                 </div>  |  |